

उत्तराखण्ड स्थापना दविस से पहले UCC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनका राज्य [स्थापना दविस](#) (9 नवंबर, 2024) से पहले [समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#) लागू करेगा।

मुख्य बदि

- UCC वधियक 6 फरवरी, 2024 को राज्य वधिनसभा में पेश कया गया था और 7 फरवरी, 2024 को उत्तराखण्ड वधिनसभा के वशिष सत्र के दौरान पारति कया गया था।
- भारत में वविह, तलाक, उत्तराधकिार और संपत्ति के अधकिार जैसे वयक्तिगत मामलों के लयि समान नयिम स्थापति करने का प्रस्ताव कया गया था, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, लयि या यौन अभविन्यास कुछ भी हो।
- प्रस्तावति कानून में 392 धाराएँ हैं, जनिहें चार भागों और सात अध्यायों में वभिजति कया गया है, जो महिलाओं को वविह, तलाक, गुजारा भत्ता तथा संपत्ति के उत्तराधकिार में समान अधकिार प्रदान करते हैं, यह कानून कुछ संबंधों को प्रतबिंधति करता है, बहुवविह पर प्रतबिंध लगाता है, पुरुषों एवं महिलाओं के लयि वविह योग्य आयु (करमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष) नरिधारति करता है व वविह का पंजीकरण अनविार्य बनाता है।
 - राज्य की [अनुसूचति जनजाति](#) की आबादी, जो कुल जनसंख्या का 2.89% है, को इस कानून से छूट दी गई है।



UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE



Marriage



Divorce



Maintenance



Inheritance



Adoption




Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."

Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016